



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 फाल्गुन, 1942 (श०)

संख्या-148 राँची, सोमवार,

22 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

09 फरवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-72/2017-1430 (HRMS)-- मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लापूंग, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2387/रा०, दिनांक 18.05.2017 के माध्यम से जिला स्थापना उपसमाहर्ता, राँची के पत्रांक-63 (i), दिनांक 17.04.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया है-

(i) दिनांक 26.11.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा लापूंग अंचल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में मो० शहजाद परवेज, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, लापूंग प्रखंड मुख्यालय में अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि मो० परवेज प्रखंड मुख्यालय में निवास नहीं करते हैं। मो० परवेज का उक्त कृत्य स्पष्टतः विभागीय निदेश का उल्लंघन है। इनके उक्त कृत्य पर स्पष्टीकरण की माँग किये जाने पर उन्होंने अपने पत्रांक-321(ii) दिनांक 05.06.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्य स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

(ii) मो० शहजाद परवेज, तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लापुंग का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 (1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7346, दिनांक 20.06.2017 द्वारा मो० परवेज से स्पष्टीकरण की माँग की गई तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में मो० परवेज द्वारा अपने पत्रांक-कैम्प-01, दिनांक 06.01.2020 द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति उपलब्ध करवायी गई है, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

“उप विकास आयुक्त, राँची का निरीक्षण टिप्पणी से प्राप्त संचिका/टिप्पणी दिनांक 28.11.2011 में नामकुम प्रखंड एवं बुण्डू प्रखंड का निरीक्षण कर टिप्पणी की गई है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनका पदस्थापन कभी भी नामकुम एवं बुण्डू प्रखंड-सह-अंचल अधिकारी के रूप में नहीं रहा और न ही कभी वे अतिरिक्त प्रभार में रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के द्वारा लापुंग प्रखंड के औचक निरीक्षण किया गया तब वे कार्यालय में उपस्थित थे, जिसका उल्लेख जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-1256(ii)/आ०, दिनांक 28.11.2011 में किया गया है। तत्पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा इनके आवास का निरीक्षण किया गया। इनके आवास पर रसोईया के द्वारा खाना बनाया जा रहा था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची के द्वारा रसोईया को अकेले में बुलाकर पूछताछ की गई और रसोईया को चाय बनाने को कहा गया। आवास पर चाय पीने के पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करने हेतु साथ चलने को कहा गया और अस्पताल का निरीक्षण किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का आवास देखने से प्रतीत हुआ कि साधारणतया निवास नहीं किया जाता है, जो भ्रामक प्रतीत होता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतीत एवं साधारणतया शब्द का उल्लेख किया गया है, जो स्वयं में भ्रामक है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची का प्रतिवेदन तथ्यात्मक नहीं है। इनके द्वारा की गई पूछताछ एवं अन्य साक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः उप विकास आयुक्त, राँची का निरीक्षण टिप्पणी इनसे संबंधित नहीं है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा लगाया गया आरोप तथ्यहीन एवं निराधार है।”

मो० परवेज के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-764, दिनांक 03.02.2020 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की मांग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1466(ii) दिनांक 04.12.2020 द्वारा इनके स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मो० परवेज के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई है।

मो० परवेज के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, उपायुक्त, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, लापुंग, राँची को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD SHAHJAD PERWEZ 110081165697	मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, लापूंग, राँची को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
